INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 11 | DECEMBER – 2025

"पुलिस प्रशिक्षण में वित्तीय संसाधनों की उपयोगिता एवं पारदर्शिता का अध्ययन" (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

गीता देवी साकेत
शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

डॉ. अंकुल पांडे
प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

सारांश –

किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की गुणवत्ता उस व्यवस्था में कार्यरत मानव संसाधन की दक्षता पर निर्भर करती है। पुलिस प्रशासन, जो राज्य की विधि–व्यवस्था बनाए रखने का प्रमुख दायित्व निभाता है, उसकी कार्यकुशलता और निष्पादन की गुणवत्ता प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। प्रशिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब उसके लिए आवंटित वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग एवं पारदर्शी प्रबंधन किया जाए। प्रस्तुत शोध पत्र में रीवा जिले में पुलिस प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की उपयोगिता, प्रबंधन व्यवस्था तथा पारदर्शिता की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यद्यपि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, किंतु उनके उपयोग में योजनागत दृष्टिकोण, लेखा अनुशासन और समयबद्धता का अभाव देखा गया है। वित्तीय पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटलीकरण, लेखा परीक्षण प्रणाली और परिणाम–आधारित बजटिंग को अपनाना आवश्यक प्रतीत होता है।

मुख्य शब्द – वित्तीय संसाधन, पारदर्शिता, पुलिस प्रशिक्षण, लेखा प्रबंधन, शासन नियंत्रण, रीवा जिला।

प्रस्तावना –

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पुलिस संगठन राज्य का वह स्तंभ है जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहने के कारण पुलिस तंत्र की दक्षता, ईमानदारी और संवेदनशीलता का सीधा प्रभाव शासन की छवि पर पड़ता है। अतः पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण केवल तकनीकी या शारीरिक दक्षता विकसित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नैतिक, व्यवहारिक तथा प्रशासनिक गुणों के विकास का साधन भी है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होती है, जिनका उचित प्रबंधन और पारदर्शी उपयोग पुलिस प्रशासन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

रीवा जिला जो मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है, यहाँ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति राज्य के अन्य जिलों के लिए एक प्रतिरूप के रूप में देखी जा सकती है। इस जिले में पुलिस लाइन तथा प्रशिक्षण केंद्रों में वार्षिक रूप से करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया जाता है, जो विभिन्न

प्रशिक्षण गतिविधियों, अवसंरचना विकास, प्रशिक्षकों के मानदेय और उपकरणों की खरीद में व्यय होता है। किंतु इन संसाधनों का उपयोग किस स्तर तक योजनाबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी है, यह प्रश्न वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध इसी प्रश्न की पड़ताल करता है और यह समझने का प्रयास करता है कि वित्तीय संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से प्रशिक्षण की गुणवत्ता और दक्षता को प्रभावित करता है।

शोध उद्देश्य –

शोध पत्र प्रारंभ करने से पूर्व यह निश्चिय करना परम आवश्यक होता है कि शोध से संबंधित सूचनाओं का गहन अध्ययन करना नवीन प्रश्नों का निर्माण, अवधारणाओं एवं समझ को विकसित करने हेतु तत्वों का पता लगाना तथा नवीन सम्भावनाओं को खोजना शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। शोध की अवधारणा प्रत्येक क्षेत्र में होती है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। अध्ययन का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, परन्तु व्यापक क्षेत्र में ही शोध के निश्चित उद्देश्यों से संबंधित तथ्य ही एकत्र किये जायेंगे।

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य रीवा जिले में पुलिस प्रशिक्षण के अंतर्गत वित्तीय संसाधनों की उपयोगिता एवं पारदर्शिता की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार है –

- रीवा जिले के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में वित्तीय संसाधनों के आवंटन, वितरण एवं उपयोग की प्रक्रिया का अध्ययन करना।
- वित्तीय संसाधनों के सदुपयोग और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए व्यवहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध विधि –

प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दोनों प्रकार की पद्धतियों पर आधारित है। प्राथमिक आँकड़ों के संकलन हेतु रीवा जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों, जिला पुलिस कार्यालयों और लेखा शाखाओं से साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई। द्वितीयक आँकड़ों के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट, मध्यप्रदेश शासन के बजट दस्तावेज, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और पूर्व प्रकाशित शोध साहित्य का उपयोग किया गया है। संकलित आँकड़ों का विश्लेषण तुलनात्मक और प्रतिशत विधियों द्वारा किया गया है, जिससे व्यय प्रवृत्तियों और उपयोग दक्षता का आकलन किया जा सके।

विश्लेषण –

रीवा जिले में पुलिस प्रशिक्षण हेतु मुख्य वित्तीय स्रोत राज्य शासन का गृह विभाग, केंद्र सरकार की पुलिस आधुनिकीकरण योजना तथा जिला योजना निधि हैं। इन संसाधनों का व्यय मुख्यतः चार प्रमुख मदों में किया जाता है– प्रशासनिक व्यय, प्रशिक्षण उपकरण एवं सामग्री, भवन एवं अवसंरचना विकास तथा सूचना एवं संचार तकनीक से संबंधित व्यय। वर्ष 2023–24 के आँकड़ों के अनुसार कुल बजट का लगभग 68 प्रतिशत भाग प्रशासनिक व्यय में, 17 प्रतिशत प्रशिक्षण उपकरणों में, 10 प्रतिशत भवन निर्माण एवं रख–रखाव में तथा शेष 5 प्रतिशत सूचना तकनीक और डिजिटलीकरण में व्यय किया गया है।

वित्तीय उपयोगिता की दृष्टि से यह पाया गया कि औसतन 80 से 85 प्रतिशत बजट का उपयोग प्रत्येक वर्ष हो जाता है, किंतु इस व्यय के अनुपात में प्रशिक्षण की गुणवत्ता या दक्षता में समानुपाती वृद्धि नहीं देखी जाती। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यय का मूल्यांकन परिणाम के आधार पर नहीं किया जाता। इस प्रकार प्रशिक्षण सामग्री की खरीद तो होती है, किंतु उनका प्रभावी उपयोग और रखरखाव उपेक्षित रहता है। लेखा परीक्षण रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि कई बार बिल–वार साक्ष्य अनुपलब्ध रहते हैं तथा सामग्री की खरीद में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है।

पारदर्शिता के दृष्टिकोण से राज्य स्तर पर ई–लेखा प्रणाली (IFMS) लागू है, परंतु जिला स्तर पर अब भी कुछ व्यय मदों में मैनुअल रजिस्टरों पर निर्भरता बनी हुई है। इससे लेखा प्रविष्टियों में विलंब और मानवीय त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में व्यय की स्वीकृति प्रक्रिया लंबी होने से

प्रशिक्षण कार्यों में देरी होती है। पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों में राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक विवेकाधिकार और निगरानी तंत्र की कमजोर स्थिति भी शामिल है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि पुलिस प्रशिक्षण व्यय में नियोजन की कमी प्रमुख समस्या है। बजट निर्माण के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों की वास्तविक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण नहीं किया जाता, परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में संसाधनों की अधिकता और कुछ में कमी देखने को मिलती है। प्रशिक्षण उपकरणों के लिए निधि तो प्राप्त होती है, किंतु प्रशिक्षकों की कमी के कारण उनका उपयोग नहीं हो पाता। वित्तीय दृष्टि से यह संसाधन अपव्यय की स्थिति है। इस प्रकार उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये रीवा जिले में पुलिस प्रशिक्षण हेतु वित्तीय संसाधनों के उपयोग एवं पारदर्शिता का तुलनात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन सारणी क्रमांक–01 में प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है –

सारणी क्रमांक 01

रीवा जिले में पुलिस प्रशिक्षण हेतु वित्तीय संसाधनों के उपयोग एवं पारदर्शिता का तुलनात्मक विश्लेषण (वर्ष 2020–21 से 2023–24)

क्र.	वित्तीय वर्ष	कुल स्वीकृति बजट (रु. लाख में)	वास्तविक व्यय (रु. लाख में)	व्यय प्रतिशत (%)	लेखा पारदर्शिता का स्तर
1.	2020–21	250.00	205.60	82.24	मध्यम
2.	2021–22	275.00	233.40	84.87	मध्यम से उच्च
3.	2022–23	310.00	266.70	86.03	उच्च
4.	2023–24	340.00	288.90	85.00	मध्यम

स्रोत– रीवा जिला पुलिस कार्यालय, वार्षिक प्रशिक्षण बजट एवं व्यय विवरण (वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2023–24), मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (भोपाल, 2024) तथा शोधार्थी द्वारा संकलित प्राथमिक आँकड़े।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में पुलिस प्रशिक्षण हेतु आवंटित वित्तीय संसाधनों का औसतन 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्रत्येक वर्ष व्यय किया जाता है, जो संसाधन उपयोगिता की दृष्टि से संतोषजनक है। तथापि पारदर्शिता स्तर में वर्षवार अंतर देखने को मिलता है। वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण प्रशिक्षण गतिविधियाँ सीमित रहीं और ई–लेखा प्रणाली पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता स्तर 'मध्यम' दर्ज हुआ है। वर्ष 2021–22 में शासन द्वारा ई–गवर्नेंस तंत्र को सुदृढ़ किए जाने के कारण लेखा पारदर्शिता में सुधार हुआ और व्यय अनुपात भी बढ़कर 84.87 प्रतिशत तक पहुँच गया है।

वर्ष 2022–23 में प्रशिक्षण उपकरणों की समयबद्ध खरीद, सामग्री के डिजिटल अभिलेख तथा बाह्य लेखा परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के कारण पारदर्शिता स्तर 'उच्च' पाया गया है। यह वर्ष पुलिस प्रशिक्षण में वित्तीय प्रबंधन का सबसे दक्ष काल माना गया। किंतु वर्ष 2023–24 में यद्यपि बजट में वृद्धि हुई, फिर भी व्यय नियंत्रण प्रक्रिया में कुछ विलंब, निरीक्षण की कमी तथा ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाई गई तकनीकी टिप्पणियों के कारण पारदर्शिता स्तर पुनः 'मध्यम' दर्ज किया गया।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि रीवा जिले में वित्तीय संसाधनों का उपयोग मात्रात्मक रूप से तो संतोषजनक है, परंतु गुणात्मक पारदर्शिता अभी भी अस्थिर बनी हुई है। ई–लेखा प्रणाली, ऑडिट प्रक्रिया और प्रशिक्षण व्यय की समयबद्धता जैसे घटक पारदर्शिता को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि इन घटकों में निरंतर सुधार लाया जाए, तो न केवल व्यय की दक्षता बढ़ेगी बल्कि प्रशिक्षण परिणामों की गुणवत्ता में भी सुधार संभव होगा।

शोध समस्याएँ एवं सुझाव –

रीवा जिले के संदर्भ में प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार पायी गयी – बजट नियोजन में स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी, निधि वितरण में विलंब, लेखा पारदर्शिता का अभाव, परिणाम मूल्यांकन की कमी तथा डिजिटलीकरण का अपर्याप्त क्रियान्वयन। इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है –

- प्रशिक्षण व्यय के प्रत्येक मद को ई–गवर्नेंस प्रणाली से जोड़ा जाए ताकि प्रत्येक भुगतान और प्राप्ति ऑनलाइन दर्ज हो सके। इससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व दोनों में वृद्धि होगी।
- परिणाम–आधारित बजटिंग प्रणाली लागू की जाए जिससे प्रत्येक व्यय के साथ प्रशिक्षण के परिणाम का मूल्यांकन भी किया जा सके।
- स्वतंत्र लेखा निरीक्षण समिति गठित की जाए जो समय–समय पर व्यय की गुणवत्ता और पारदर्शिता की समीक्षा करे।
- प्रशिक्षण संस्थानों को सीमित स्तर पर स्ववित्तीय संसाधन उत्पन्न करने की अनुमति दी जा सकती है, जैसे– स्थानीय उद्योगों या CSR से सहयोग प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को वित्तीय प्रबंधन और लेखा पारदर्शिता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे सरकारी वित्तीय नियमों की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सकें।

निष्कर्ष –

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि रीवा जिले में पुलिस प्रशिक्षण के लिए आवंटित वित्तीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, किंतु उनके उपयोग की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। वित्तीय पारदर्शिता केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि सुशासन का अनिवार्य अंग है। यदि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए जाएं, तो न केवल प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि पुलिस कर्मियों का मनोबल और जनता का विश्वास भी सुदृढ़ होगा।

वाणिज्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुलिस प्रशिक्षण में वित्तीय संसाधनों का उपयोग एक प्रकार का सार्वजनिक निवेश है, जिसका प्रतिफल समाजिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए आवश्यक है कि बजट आवंटन से लेकर व्यय और लेखा परीक्षण तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और परिणामोन्मुख बनाया जाए। यदि वित्तीय उत्तरदायित्व और दक्षता के सिद्धांतों का पालन किया जाए, तो पुलिस प्रशासन के प्रशिक्षण ढांचे में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है और यह सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

संदर्भ –

1. मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, भोपाल, 2023।
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य पुलिस विभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, नई दिल्ली, 2022।
3. सिंह, आर.के., लोक वित्त एवं प्रशासनिक पारदर्शिता, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019।
4. Government of India, Modernisation of Police Forces Scheme Report, Ministry of Home Affairs, New Delhi, 2021।
5. चतुर्वेदी, एस.पी., भारतीय पुलिस व्यवस्था में सुधार के प्रयास, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2020।
6. शर्मा, अजय, वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक लेखांकन, अटल प्रकाशन, भोपाल, 2018।
7. रीवा जिला पुलिस कार्यालय, वार्षिक प्रशिक्षण बजट एवं व्यय विवरण, 2019–2024।
8. Dubey, M.P., Transparency in Public Financial Management, Sage Publications, New Delhi, 2021।